11/9/15	वकीलों के ~~कैन्डोलेंस~~ हड़ताल के कारण पूर्वानुसार वास्ते... रिकार्ड तलब दिनांक ....30/X/15...... को पेश हो।
30/X/15	वकील ~~फरीकैन~~ अपीलांट उप०/s00 साहब अवकाश / ~~दौरे~~ स्थानान्तरण पर पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक..4/12/15.....को पेश हों।
4/12/15	वकील ~~फरीकैन~~ अपीलांट उप०/s00 साहब अवकाश / ~~दौरे~~ स्थानान्तरण पर पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक..15/1/15.........को पेश हों।
15/1/15	वकील ~~फरीकैन~~ अपीलांट उप०/s00 साहब अवकाश / ~~दौरे~~ स्थानान्त० पर पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक..19/2/15.....को पेश हों।
19/2/15	वकील ~~फरीकैन~~ अपीलांट उप०/s00 साहब अवकाश / ~~दौरे~~ स्थानान्त० पर पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक..9/4/15.........को पेश हों।
15/7/15	पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित है। अपीलांट का संक्षेप में अपील तथ्य इस प्रकार से है कि नामान्तरकरण सं. 436 दिनांक 20/8/98 एवं नामा० सं. 501 ग्रामपंचायत अमरगढ़, अपीलांट के पति रघु पुत्र रामदेव माली की कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 447, 448, 450, 456/2, 456/3, 459, 463, 464, 465 कुल किता 9 कुल रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा भूमि वाके ग्राम गुरली नरौली तह० सपोटरा का नामान्तरकरण रेस्पोन्डेन्ट द्वारा बिना किसी हिस्सेदारी व बगैर दिराल्त की जांच किये हुए वारिसान के हक में अपूर्ण रूपसे खोला गया है जो खिलाफ कानूनी व खारिज होने योग्य है। रघु पुत्र रामदेव जाति माली के फौत होनेके पश्चात् नामा० सं. 436 में वारिसान का नाम दर्ज होनेके पश्चात् कॉलम सं. 9 में हिस्सा दर्ज नहीं किया है। रघु के वारिसान में 5 पुत्र व एक पत्नि कुल 6 वारिसान है। रघु की खातेदारी भूमि में प्रत्येक का 1/6-1/6 हिस्सा है जो नामा० में दर्ज नहीं है। इसी प्रकार नामा० सं. 501 में

पीठासीन अधिकारी (SDM) राजस्व लोक अदालत ... 2015 सपोटरा, जिला ... (राज०)

रद्दू के वारिसान धर्मचंद व कल्ला के विवाहित होनेपर नामान्तरकरण के कॉलम सं. 7 में धर्मचंद व कल्ला की विरासत का नामा० दर्ज करते समय हिस्सा 1/5 दर्ज किया है, जो गलत है, नामान्तरकरण खारिज होने योग्य है। विरासत अनुसार धर्मचंद व कल्ला का विवादित जमीन में हिस्सा 1/6-1/6 है, इसी अनुसार नामा० के कॉलम सं. 7 में प्रविष्टि होनी चाहिए। इसी अनुसार वारिसान विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इसलिए नामान्तरकरण सं. 436 व 501 में रद्दू के वारिसान का हिस्सा 1/6-1/6 दर्ज किया जावे।

अपील अपीलांट पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण सं. 436 में रद्दू के वारिसान तो 6 ही दर्ज किये है किन्तु उनका हिस्सा स्पष्ट अंकित नहीं किया है, इससे स्पष्ट है कि रद्दू के वारिसान तो 6 ही है, उसी अनुसार उनका हिस्सा 1/6-1/6 ही अंकित होना चाहिए था। नामान्तरकरण सं. 501 में जो धर्मचंद व कल्ला के विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया गया है उसमें उनका हिस्सा 1/5 दर्ज किया गया है, जो कि गलत दर्ज किया गया है। रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं गिरदावर से भी यह स्पष्ट है कि रद्दू के वारिसान का विवादित आराजीयात में हिस्सा 1/6-1/6 होने चाहिए।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. 436 व 501 खारिज किये जाते हैं तथा तहसीलदार सपोटरा को रद्दू माली के वारिसान का सही हिस्सा 1/6-1/6 दर्ज करते हुए पुनः नामान्तरकरण खोला जावे। पत्रावली फैसले शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत 'न्याय आपके द्वार-2015'
सपोटरा, जिला-करौली (राज०)